



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

(शमन/स्वीकृत पत्र)

पत्रांक - 898/प्रवर्तन/जी.डी.ए./2018
सेवा में,

दिनांक 04/07/18

मै0 एस0जी0 स्टेट लि0 द्वारा श्री गौरव गुप्ता
भूखण्ड संख्या-सी0पी0-1बी, गोविन्दपुरम,
गाजियाबाद।

विषय : भूखण्ड संख्या- सी0पी0-1बी, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद पर निर्मित गुप हाउसिंग भवन के निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय शमन आवेदन, शपथ पत्र एवं शमन मानचित्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 03.08.2017 एवं 25.06.2018 के अनुसार शमन एवं ब्याज धनराशि ₹ 2,23,55,468.00 (रुपये दो करोड़ तेईस लाख पचपन हजार चार सौ अरसठ मात्र) आपके द्वारा दिनांक 13.10.2017 एवं 03.07.2018 प्राधिकरण कोष (विजया बैंक) में जमा किये जाने पर शमन मानचित्र में शमनीय निर्माण को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

1. निर्मित भवन के प्रयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार संपूर्ति प्रमाण पत्र लेने से पूर्व मौके पर सुनिश्चित करनी होगी (300.00 वर्ग मी. अथवा इससे अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल होने पर लागू)।
3. स्वीकृत शमन मानचित्र में स्वीकृति आच्छादन के अनुसार आवश्यक वृक्षारोपण सुनिश्चित करना होगा।
4. पत्रावली में दांयी ओर संलग्न आवेदन के साथ एवं समय-समय पर दिये गये शपथ पत्रों एवं शपथ पत्र क्रमांक-34ए0डी0 294259 दिनांक 02.07.2018 में अंकित समस्त धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. उपरोक्त बिन्दु-2 से 4 तक की शर्तों के अनुपालन के उपरान्त ही संपूर्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा।
6. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
7. शमन उपरान्त स्वीकृत मानचित्र निर्गत होने के उपरान्त स्थल पर कोई अन्य निर्माण नहीं किया जायेगा।
8. मा. उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-43362/2001 एवं 2435 एम.बी./2001 में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना होगा।
9. शमन मानचित्र की स्वीकृति के मद में गणनाओं में त्रुटिवश यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो प्राधिकरण में जमा करानी होगी।
10. शमन आवेदन एवं प्रस्तुत मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
11. शमनीय भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि में कमी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
12. पूर्व स्वीकृत मानचित्र सं.-252/जी0एम0पी0/जी0एच0/2012-13 दिनांक 02.12.2013 एवं 76/जोन-3/2014-15 दिनांक 22.12.2014 में दी गयी शर्तों एवं उपरोक्त शर्तों व शपथ पत्रों की समस्त धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
13. अशमीय निर्माण को 30 दिन के अन्दर तोड़कर भवन स्वामी स्वयं प्राधिकरण को सूचित करेंगे अन्यथा शमन स्वीकृति निरस्त समझी जायेगी।
14. भू-स्वामित्व सम्बन्धी में अथवा अन्य किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र पर दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
15. स्वीकृति के समय मानचित्र पर अंकित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
16. मानचित्र स्वीकृति के समय एवं वर्तमान में दर्शित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
17. भवन के स्ट्रक्चरल/एलिवेशन सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर/संस्था की होगी यदि इसके कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए यह समस्त व्यक्ति जिम्मेदार होंगे।
18. वाटर सप्लाई/सीवर मेन्टीनेन्स तथा किसी भी प्रकार की मेन्टीनेन्स/रख-रखाव की जिम्मेदारी संस्था की होगी तथा किसी भी समय आन्तरिक विकास को नगर निगम को हेण्ड ओवर करने की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी।

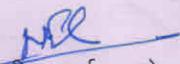
Signature

19. सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम का प्रावधान बी0आई0एस0 कोड के अनुसार एवं शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप करना होगा।
20. वेस्ट वॉटर का रिसाईक्लिंग कर सिंचाई आदि में उपयोग करना होगा।
21. अन्दर के खुले स्थानों का उपयोग स्वीकृति के अनुरूप ही करना होगा।
22. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य वाह्य विकास का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपाति मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर प्राधिकरण को देय होगा।
23. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी आवंटी को भवन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
24. संरचना सुरक्षा का दायित्व स्वयं विकासकर्ता का होगा।
25. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
26. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा। कोई अन्य उपयोग/निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
27. दर्शित पार्किंग का 10 प्रतिशत विजिटर्स हेतु आरक्षित रखना होगा।
28. अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 का अनुपालन करना होगा।
29. सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर दर से लगाने होंगे।
30. लिफ्ट के संचालन हेतु कॉरप्स फण्ड का प्रावधान करना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : शमन मानचित्र की एक प्रति।


अवर अभियन्ता (प्रवर्तन)


प्रभारी प्रवर्तन जोन-3